न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 394/2023 प्रा0 पत्र | दायर दिनांक 13.12.2023 | निर्णय दिनांक 09.06.2025

उनवान

1. श्री नारायण पुत्र श्री श्रीकिशन ब्राहम्ण, निवासी ब्रहमपुरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश पुत्र श्री रामेश्वर ब्राहम्ण, निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थी श्री पृथ्वीराज चौधरी, उपस्थित।

2–विपक्षी संख्या 01 अनुपस्थित।

3– विपक्षी संख्या 02 पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी अधिकारों की ग्राम ब्रहमपुरी, पटवार हल्का दांथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 693/1 रकबा 0.4299 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है, प्रार्थी को अपनी आराजी सख्या 693/1 में काश्त करने हेतु आने–जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज, बैल व पैदल आने–जाने एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता नम्बर 593 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 693 रकबा 0.2529 हैक्टेयर से होते हुऐ प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 693/1 में आ जा सकता है जो कि 10–12 फीट चौड़ा होकर बदस्तुर जारी है।

आराजी नम्बर 693 आवंटन हुई। आवंटन से पूर्व का नक्शा अवलोकनार्थ से ज्ञात होता है कि आराजी नम्बर 693 पर आने–जाने का रास्ता उक्त यथास्थान पर मौजूद था। उक्त रास्ता आज भी बदस्तुर जारी है। आराजी नम्बर 693 आवंटन हुई। आवंटन से पूर्व भी उक्त रकबा रास्तें के उपयोग–उपभोग में ही था व आज भी रास्तें के उपयोग उपभोग में आ रहा है। उक्त रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से अवरोध पैदा कर दिया है। उक्त कदीमी रास्तें पर आराजी नम्बर 692 के खातेदार द्वारा जानवरों के पानी पीने के लिये पानी की पो बना रखी है, जिसमें करीब 15–20 व्यक्तियों के मवेशी पानी पीते है एवं पालूत (मवेशी) जानवर के अलावा अन्य मवेशियों के लिये भी पीने के पानी की यही पर व्यवस्था है। विपक्षी संख्या 01 उक्त रास्ता बन्द कर देने से आमजन, आमजानवर व पालतु मवेशी सभी परेशानी हो रही है। पालतु मवेशी जानवर प्यासे मर रहे है जबकि विपक्षी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 01 को दिनांक 01.12.2023 को रास्तें में अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर पर इंकार हो गयें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद ब्रह्मपुरी पटवार हल्का दांथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दाथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 693/1 में आने जाने हेतु जो कि एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 593 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 693 से सहारे प्रार्थी की आराजी नम्बर 693/1 में आता जाता है, जो मौके पर विद्यमान 10–12 फीट चौडाई मे नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षी संख्या 01 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। रजिस्टर्ड नोटिस डिलिवर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 664 दिनांक 06.12.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि ग्राम ब्रहमपुरी पटवार मण्डल दांथल के आराजी नम्बर 693/1 का खातेदार व अन्य खातेदार आने जाने हेतु आराजी नम्बर 693 में बने हुये रास्तें का उपयोग उपभोगत करते आये तथा वर्तमान में भी मौके पर रास्ता बना हुआ भी है। परन्तु आराजी नम्बर 582 का खातेदार आये दिन वाद–विवाद लडाई–झगडे करता है तथा रास्तें को बन्द कर देता है। इसी प्रकारण खातेदार उक्त आराजी में आने–जाने हेतु आराजी नम्बर 693 में से रास्ता चाहते है जो मौके पर बना हुआ ब्रहमपुरी जाने वाली सडक से लगता हुआ तथा सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रस्तावित रास्ता का रकबा 0.1264 हैक्टेयर बनता है। प्रस्तावित रास्तें की लम्बाई 100 गट्ठा X चौडाई 02 गट्ठा = 0.1264 हैक्टैयर बनती है। प्रस्तावित रास्तें को लाल स्याही से अंकित किया गया है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,20,085 /– रूपये प्रति हैक्टेयर की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 55,636 /– डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये वादी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान हेतु सहमत है। विपक्षी संख्या 01 उपस्थित नहीं है। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

File No.

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम ब्रहमपुरी, पटवार हल्का दांथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 693/1 रकबा 0.4299 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 693 में से लम्बाई 100 गट्ठा X चौडाई 02 गट्ठा = 0.1264 हैक्टैयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी.दर राशि– 2,20,085 /– रूपये प्रति हैक्टेयर की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 55,636 /– रूपये बनती है जो विपक्षी संख्या 01 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा